among others, recommended certain measures to be taken to increase the avenues of employment in the formal and organised sector as also in the small scale and medium size enterprises. It stressed the need to provide social security and labour protection to agricultural workers and to protect jobs in Indian Industry. It was also decided that the next session of the Indian Labour Conference should be convened in April, 1999 with the following items in the agenda:

—measures to reduce industrial sickness and to increase production and productivity.

—*measures to increase employment* opportunities.

(b) Yes, Sir.

(c) The Ministry of Labour is in agreement with the recommendation of Standing Labour Committee and has requested the Ministry of Finance for necessary action in this regard.

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों को जमा न कराया जाना

2101. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्टील रौलरोलिंग मिलों में कार्यरत कितने श्रमिक और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं;

(ख) उनके खातों में समय पर अंशदान राशि जमा न करने वाले मिल मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) उनसे कितनी राशि वसूल की जानी शेष है; और

(घ) इन मिल मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जाटिया): (क) 3995

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स कानपुर स्टील एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, भिलाई के श्री विनोद कुमार पंजाबी, मैसर्स शिव शक्ति री-रोलिंग मिल्स, रायपुर के श्री एल०पी० यादव और अन्यों तथा मै० हीरा स्टील मिल्स, रायपुर के श्री एच०पी० अग्रवाल ने कर्मचारी भविष्य निधि देयों की समय पर अदायगी में चूक की है। तदनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7-क के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार कानूनी कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थीं और मैसर्स हीरा स्टील्स मिल्स, रायपुर के अलावा अन्यों से भविष्य निधि देयों की वसूली कर ली गयी है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरा स्टील मिल्स पर बकाया देयों के निर्धारण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Eradication of Unemployment

2102. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the National Agenda for Governance proposes to eradicate unemployment;

(b) if so, the details of steps taken in this direction so far; and

(c) the employment opportunities created during the last one year?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (c) The National Agenda for Governance (NAG) stresses the need to reappraise and revitalise reforms through giving primacy to removal of unemployment and give to the entire development efforts a humane face with total eradication of proverty and removal of unemployment.

Under the direction from the Prime Minister, Five Special Action Plans (SAP) were formulated. These Plans pertain to:

(i) Doubling food production and making India hunger free in 10 years.

(ii) Expansion and improvement of social infrastructure—drinking water, housing, education, health care and sanitation—provision of drinking water to every settlement in the country within 5 years.

(iii) Rapid expansion and improvement of physical infrastructure—power, oil, petroleum and renewable sources of energy, roads, transport, ports, airports, telecommunications and financial services.

(iv) Unveiling a National Water Policy so that no water goes waste and our water resources are cleaned up.

(v) Make India a global information Technology Power and one of the largest generators and exporters of software in the world within 10 years.

Goals of these Action Plans will further help employment generation.

In addition to the above, a high powered Task Force under the Chairmanship of Member (Planning Commission) has been constituted to suggest measures to create ten crore jobs in ten years. The Task Force has already had its first meeting on 16.2.99.

Annual estimates of additional employmet generated during 1992-93 and 1993-94 (latest.available) was between six and eight million.

महिला श्रमिकों के लिए कम मजदूरी

2103. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अधिकांश भागों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में काफी कम मजदूरी मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए कोई प्रभावी और ठोस उपाय करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 उसी कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था करता है। केन्द्रीय सरकार के रेल प्रशासन, अथवा एक बैंकिंग कम्पनी के सम्बन्ध में, एक खान, तेलक्षेत्र अथवा प्रमुख बन्दरगाह अथवा केन्द्रीय सरकार अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम के प्राधिकार के द्वारा अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले किसी रोजगार के संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। दूसरे सभी नियोजनों के संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं। अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित समुचित सरकार के अधिकारी निरीक्षण करते हैं तथा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों का पता लगने पर अभियोजन चलाते हैं। केन्द्रीय सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रबोधन करती है।

नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि, संसद तथा गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व सहित केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति गठित की हुई है। महिलाओं को नियोजित किए जाने, कार्य के घन्टों, नियोजन में महिलाओं की उपयुक्तता, महिलाओं के लिए नियोजन अवसर बढ़ाने की आवश्यकता तथा अंशकालिक नियोजन आदि के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए सलाहकार समिति की समय-समय पर बैठक होती रहती है। अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए 21 राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह के निकायों का भी गठन किया गया है।

Terms of Reference of National Commission on Labour

2104. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the terms of reference of the proposed Second National Commission on Labour have been decided;

(b) if not, by when Government propose to enlist the views of the trade unions on the subject and decide the terms of reference of the said Commission; and

(c) if so, whether the Central trade Unions have been consulted in the matter?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.